कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन,भोपाल–462004

//कारण बताओ सूचना//

क्रमांक /768/आउशि./संबद्वता/16 भोपाल,दिनांक

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,
अंकित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति,
ग्वालियर।

विषयः–अपराध क्रमांक 13/2016 धारा –420, 267, 407, 471,468,120 बी, भादवि दर्ज किये जाने के संबंध में –अशासकीय वंदेमातरम शिक्षा महाविधालय एवं **वंदेमातरम् नर्सिंग महाविधालय ग्वालियर ।**

संदर्भः–अतिरिक्त महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ(ई.ओ.डब्ल्यू.) भवन, 42 अरेरा हिल्स, भोपाल के पत्र क्रमांक अपराध/45–15/1907–बी/16, दिनांक–26.3.2016

------0------

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में अंकित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति,ग्वालियर द्वारा संचालित वंदेमातरम शिक्षा महाविधालय एवं वंदेमातरम् नर्सिग महाविधालय ग्वालियर की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों एवं महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य ने जेलरमामा के साथ मिलकर समिति के नाम से 30 वर्षीय लीजडीड भूमि सर्वे क्रमांक 805 एवं 806 पटवारी हल्का नं. 37 ग्राम शंकरपुर लश्कर ग्वालियर दिनांक 8.7.2005 को पंजीयन क्रमांक 992 पर उपपंजीयक कार्या0 ग्वालियर में संपादित कराई गई रजिस्टर्ड लीजडीड तीन दिवस पश्चात ही उक्त लीजडीड को जेलरमामा के हक में समर्पित कर दिया गया। जिससे संपादित लीजडीड से समिति को प्राप्त भवन एवं जमीन का मालिकाना हक समाप्त हो गया। तत्पश्चात् उक्त फर्जी लीजडीड के आधार पर बिना भवन एवं भूमि के होते हुए उक्त महाविद्यालयों ने एनसीटीई नई दिल्ली, रजिस्ट्रार महाकौशल नर्सिंग कौंसिल, भोपाल एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा भोपाल से धोखाधड़ी पूर्वक कूटरचित दस्तावेज के आधार पर बी0एड0, डी0एड0, एम0एड0, बी0एससी0–नर्सिंग, बी0बी0ए0, बी0सी0ए0 एवं बी0काम0 कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रमों की मान्यता प्राप्त कर संचालन किया गया तथा छात्र छात्राओं से शिक्षण शुल्क के रूप में भारी धनराशि प्राप्त की ।

अतः आरोपीगण नरेन्द्रपाल सिंह भदौरिया, श्रीमती अभिलाषा श्रीवास्तव, श्री राजेश श्रीवास्तव, रामवीर सिंह जादौन, शिवनारायण भदौरिया, श्रीमती प्रेमलता सिंह, वंदे मातरम शिक्षा महा0 के तत्कालीन प्राचार्य एवं जेलरमामा के उक्त कृत्य से भादवि के अन्तर्गत दिनांक 21.3.2016 को अपराध क्रमांक 13/2016 धारा –420, 267, 407, 471,468,120 बी, को पंजीबद्व विवेचना में लिया गया।

अतः उपरोक्त कृत्य सत्य पाये जाने से अंकित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति,ग्वालियर द्वारा संचालित अशासकीय वंदेमातरम शिक्षा महाविधालय एवं वंदेमातरम् नर्सिंग महाविधालय ग्वालियर को कार्यालय द्वारा जारी समस्त पाठ्यक्रमों का अनापत्ति प्रमाण पत्र एतद द्वारा वापस लिया जाकर महाविद्यालय की मान्यता क्यों न समाप्त करते हुए महाविद्यालय को ब्लेक लिस्ट किया जायें । इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण 10 दिवस में प्रस्तुत करें। अन्यथा गुणदोषों के आधार एक तरफा कार्यवाही की जायेगी।

(उमाकांत उमराव)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा,म0प्र0

पृ0 कमांक 1264 /768/आउशि/संबद्वता/16 भोपाल,दिनांक 11-8-16

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,भोपाल की ओर आपके अर्ध शा0 पत्र कमांक 1802/116/सीसी/16, दिनांक 21.6.2016
2. कलेक्टर, ग्वालियर,मध्यप्रदेश।
3. पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईकाई ग्वालियर
4. अतिरिक्त महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ(ई.ओ.डब्ल्यू.) भवन, 42 अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में,
5. वि0क0अ0, मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,भोपाल की ओर आपके पत्र कमांक 450/116/सीसी/अडतीस दिनांक 6.4.16 के संदर्भ में प्रेषित।
6. प्रभारी अधिकारी, आईटी सेल,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश।

आयुक्त,
उच्च शिक्षा,म0प्र0

कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश